अध्याय-प्रथम

शोध परिचय

अध्याय प्रथम
शोध परिचय

1.1 प्रस्तावना

विश्व में शिक्षा कार्य एक सम्माननीय कार्य माना जाता है। इस कार्य को विश्व की कई श्रेष्ठतम विभूति ने अपनाया है। समस्त युगों में इस कार्य को कई समाज सुधारक धार्मिक नेताओं ने अपनाकर इस कार्य के गौरव में अभिवृद्धि की है। बुद्ध, ईसा, सुकरात आदि। वास्तविक अर्थ में मानवजाति के वे सच्चे शिक्षक ही थे। उन्होंने सामान्य जीवन स्वीकार कर लोगों को वास्तविकता से परिचित कराया।

भारत वर्ष में भी यह सांस्कृतिक परंपरा रही है कि, शिक्षक अपने को प्रत्येक वातावरण के अनुसार ढालकर निस्वार्थ शिक्षण कार्य करते रहे हैं।

परन्तु आज हमारे देश में शिक्षण कार्य एवं शिक्षा के स्तर पर प्रश्न चिन्ह लग गये हैं। इस सम्माननीय कार्य के प्रति लोगों के विचारों में परिवर्तन आता जा रहा है। शिक्षक का सम्मान और प्रतिष्ठा केवल औपचारिक होती जा रही है।

शिक्षक का वास्तविक सम्मान तभी होता है जब वह अपने कार्यों एवं कर्तव्यों का निर्वाह उचित रूप से करे। यदि वह अपने कार्यों के प्रति सजग नहीं होता हैं। अर्थात वह उदासीन एवं तनाव में रहता है तो समाज उसे शिक्षक के रूप में कभी नहीं स्वीकारता है। उसका सम्मान एवं प्रतिष्ठा समाज में नहीं होती है।

शिक्षक पाठशालाओं में देश का भविष्य ढालते है। छात्रों को विविध प्रकार के ज्ञान के माध्यम से सींचते हैं। उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं, परन्तु वर्तमान समय में शिक्षकों पर प्रशासनिक कार्यों का बोझ बढ़ता जा रहा है। बढ़ते प्रशासनिक कार्यों से शिक्षकों में तनाव एवं उदासीनता निर्माण होती जा रही है। प्रशासनिक कार्य करके बचे कुछ समय

में शिक्षक अध्यापन कार्य करते है। इसके बावजूद भी उनसे अच्छे तथा शत्प्रतिशत परीणामों की आशा की जाती है। दिन बदिन बढ़ते प्रशासनिक कार्यो के कारण शिक्षकों की मानसिक स्थिति तथा शारीरिक स्थिति बिगड़ती जा रही है और उसका असर उनके अध्यापन कार्य पर होते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

1.2 शिक्षक की भूमिका

गुरूर्ब्रह्मा, गुरूर्विष्णु; गुरूर्देवो महेश्वरः।
गुरू साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरूवे नमः।।

बालक के सर्वांगीण विकास में शिक्षक को बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है। शिक्षक ही वास्तव में बालक का समुचित शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास कर सकता है। विद्यालय में शिक्षक को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। सम्पूर्ण विद्यालय योजनाओं को वही व्यवहारिक रूप देता है। अच्छी से अच्छी शिक्षण पद्धति प्रभाव रहित हो जाती है, किन्तु भले ही आज की विषम परिस्थितियों दावाग्नी की तरह फैले उपभोक्तावाद ने शिक्षक को भी व्यावसायिक बनने को बाध्य किया है, किन्तु बालक के विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और रहेगी।

समाज या राष्ट्र की वर्तमान स्थिति में तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं और परिवर्तनों के प्रभाव से विद्यालय भी अछूते नही, कि आज भौतिकवादी युग में जहां जीवन की सफलता को समृद्धि धनसंचय और चमक दमक के उपकरणों से जोड़ा जा रहा है। वहाँ शिक्षक के लिए यह कहना सार्थक होगा कि वह समाज का शिल्पी होता है, राष्ट्र विकास की धुरी होता है, देश के भावी कर्णधारों और उनके भविष्य का निर्माता होता हैं। शिक्षक में ऐसी अनूठी एवं अलौकीक शक्ति है, जिसके बल पर वह बालक में सद्गुणों का बीजारोपण कर उसका प्रारब्धतक बदल सकता है और राष्ट्र के अनुकूल नागरिक तैयार कर सकता है।

"अध्यापक वह प्रकाशपुंज है जो स्वयं जलकर औरों को भी प्रकाश प्रदान करता है।"

1.3 शिक्षक के विषय में शिक्षाविदों के विचार

राष्ट्र का मार्गदर्शक

1. डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार

"शिक्षक राष्ट्र के भाग्य के मार्गदर्शक है। शिक्षक बौद्धिक परंपराओं तथा तकनीकी कौशल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करने में धुरी का कार्य करता है। वह सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षक तथा परिमार्जनकर्ता है। वह बालक का ही मार्गदर्शक नहीं वरन् संपूर्ण राष्ट्र का मार्गदर्शक है।"

2. डॉ. जाकीर हुसैन के अनुसार

"वास्तव में शिक्षक हमारे भाग्य निर्माता है समाज अपने विनाश पर उनकी उपेक्षा कर सकता है।"

3. प्रो. हुमायूँ कबीर के अनुसार

"शिक्षक राष्ट्र के भाग्य निर्णायक होते है। वे ही पुनः निर्माण की कुंजी हैं।"

4. रवीन्द्रनाथ टैगौर

"शिक्षक का दायित्व पुस्तकीय ज्ञान देना ही नहीं है, वरन् विंद्यार्थी का चरित्र निर्माण करना भी है। शिक्षक एक दिशा–निर्देशक के रूप में होता है। उसके प्यार से ओत प्रोत वचन, वात्सल्य की फुहार छोड़ते है। शिक्षक का ऐसा रूखा–सम व्यवहार विद्यार्थी को स्वप्रेरित कर पूर्ण संतुष्टि प्रदान करता है।"

5. प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री रूसों के अनुसार

"अपने छात्रों को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ, अपितु उसे अनुभव से

सीखने दो। जहाँ तक संभव हो, क्रिया द्वारा शिक्षण हो, शब्दों का सहारा तभी लें जब कार्य द्वारा पढ़ाना संभव नहीं हो।''

6. गारफोर्थ के शब्दों में

''शिक्षक के माध्यम से ही संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। समाज की परंपराये नवयुवकों को ज्ञात होती है, तथा वहीं नये एवं रचनात्मक उत्तरदायित्व छात्रों को सौंपता है।''

राष्ट्र की उन्नति में स्थान

शिक्षक का राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान हैं कहा जाता है कि, ''एक व्यक्ति हत्या करके एक जीवन का अंत करता है, किन्तु शिक्षक गलत शिक्षा देकर संपूर्ण परिवार की हत्या करता है तथा संपूर्ण राष्ट्र का अहित कर सकता है। शिक्षक अपने समुचित शिक्षण से ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करते है जो राष्ट्र की प्रगति के आधार होते है।

शिक्षा का रक्षक

देश या राष्ट्र में प्रचलित शिक्षा का रक्षक भी अध्यापक ही होता है। वास्तव में कोई भी शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों के स्तर के ऊपर नहीं हो सकती है। जिस स्तर के शिक्षक रहेंगें, उसी स्तर की शिक्षा व्यवस्था होगी। शिक्षा की गुणात्मक स्थिति शिक्षकों की स्थिति तथा गुणात्मक पहलु पर निर्भर है।

वास्तव में छात्रों के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास में अध्यापक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। वह अपने सद्प्रयासों से विद्यार्थी को सफल मार्गदर्शन कर उसके व्यक्तित्व का संतुलित विकास कर उसे सफल नागरिक बनाता है। इस रूप में वह न केवल बालक का ही कल्याण करता है, वरन् समूचे समाज तथा राष्ट्र की भलाई करता है। इसलिए तो भारतीय दर्शन में उसे ब्रम्हा स्वरूप की सृजनात्मक तथा विध्वसात्मक शक्तियां का प्रदात्ता तथा स्त्रोत है। इसी की प्रदत्त शिक्षा के आधार पर हम कल्याणकारी तथा विनाशकारी शक्तियां का निर्माण करते है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि विनाश पर आ जाये तो शिक्षक एक चिकित्सक, भवन निर्माता तथा

पुजारी से भी अधिक विनाश कर सकता हैं। एक अध्यापक के प्रभाव का कहाँ अंत होगा, कहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वह अपने छात्रों पर अपने प्रभावों की अमिट छाप छोड़ देता है।

शिक्षक के उत्तरदायित्व

1. कक्षा का प्रबंध एवं समुचित शिक्षण देना।
2. छात्रों के कार्यो का मूल्यांकन करना।
3. छात्रो का शैक्षिक एवं चारित्रिक विकास करना।
4. सामाजिक एवं नागरिकता की शिक्षा देना।
5. छात्रों का व्यावसायिक प्रगति का विकास करना।
6. पाठ्यक्रमों सहगामी क्रियाओं का संचालन करना।

1.4 विभिन्न शिक्षा आयोगों में शिक्षकों की स्थिति के बारे में विचार (कोठारी आयोग-1964-1966)

कोठारी आयोग के अध्यक्ष जे.एस. कोठारी ने शिक्षकों की स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ विचार व्यक्त किये थे उनमें से कुछ निम्नलिखित है।

- भारत सरकार द्वारा विद्यालयों के शिक्षकों के न्यूनतम वेतन क्रम निश्चित किया जाये और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को अपनी परिस्थितियों के अनुकूल समान और उच्च वेतनमान स्वीकार करने में सहायता करनी चाहिए।
- सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन क्रमों में समानता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए।
- शिक्षा संख्याओं में शिक्षकों को कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए न्यूनतम सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

- शिक्षकों की अपनी व्यावसायिक उन्नति करने के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
- शिक्षकों के लिए सरकारी गृह निर्माण योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- शिक्षकों को सभी नागरिक अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
- शिक्षकों में प्रचलित व्यक्तिगत ट्यूशनों की प्रथा को नियंत्रित किया जाना चाहिए।
- शिक्षकों पर किसी प्रकार के निर्वाचनों में भाग लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा निति - 1968

- शिक्षा की गुणवत्ता तथा राष्ट्रीय विकास में योगदान देने वाले कारकों में शिक्षक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके व्यक्तिगत चरित्र एवं गुणो, शैक्षिक योग्यताओं तथा व्यावसायिक अर्हताओं पर ही शिक्षा की सफलता निर्भर है। अतः समाज में शिक्षकों को सम्मानपूर्ण स्थान दिये जाएगें। उनके वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्ते उनकी योग्यताओं तथा उत्तरदायित्वों को देखते हुए पर्याप्त तथा संतोषजनक होंगी।
- शिक्षकों को स्वतंत्र अध्ययन करने, अनुसंधान करने, अनुसंधान संबंधी निबंध प्रकाशित करने तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर लिखने या भाषण देने की शैक्षिक स्वतंत्रता की रक्षा की जायेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 1986

- शिक्षक शिक्षा विशेषकर सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा पर विशेष बल दिया जायेगा।

- सरकार और समाज को ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिए जिनसे अध्यापकों को निर्माण और सृजना की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले।

- अध्यापकों को इस बात की आज़ादी होनी चाहिए की वे नये प्रयोग कर सके और संप्रेषण की उपयुक्त विधियों और अपने समुदाय की समस्याओं और क्षमताओं के अनुरूप नये उपाय निकाल सके।

- शिक्षकों की भर्ती प्रणाली में इस प्रकार परिवर्तन किया जायेगा की, उनका चयन उनकी योग्यता के आधार पर व्यक्ति निरक्षेप रूप से और उनके कार्य की अपेक्षाओं के अनुरूप हो सके।

- शिक्षकों का वेतन और सेवा की शर्ते उनके सामाजिक और व्यावसायिक दायित्व के अनुरूप हो और ऐसी हो, जिनसे प्रतिभाशाली व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय की ओर आकृष्ट हो। यह प्रयत्न किया जायेगा की, पूरे देश में वेतन में सेवा शर्तो में और शिकायतें दूर करने की व्यवस्था में समानता का वांछनीय उद्देश प्राप्त किया जा सके। शिक्षकों की तैनाती और तबादले में व्यक्ति निरपेक्षता लाने के लिए निर्देशन सिद्धांत बनाये जायेंगे। उनके मूल्यांकन की एक पद्धति तय की जायेगी जो प्रकट होगी। आंकड़ों एवं तथ्यों पर आधारित होगी और जिसमें सब का योगदान होगा। ऊपर से ग्रेड में तरक्की के लिए शिक्षकों को उचित अवसर दिये जाएगें। जबाबदेही के मानक तय किये जायेंगे। अच्छे कार्य को प्रोत्साहन किया जाएगा।

- व्यावसायिक प्रमाणिकता की हिमायत करने, शिक्षक की प्रतिष्ठा को बढ़ाने और व्यावसायिक दुर्व्यवहार को रोकने में शिक्षक संघों को अहम भूमिका निभानी चाहिए। शिक्षकों के राष्ट्रीय संघ शिक्षकों के लिए एक व्यासायिक आचार संहिता बना सकते है और इसका अनुपालन कर सकते है।

1.5 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 के शिक्षकों के बारे में विचार

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा –2005 में शिक्षक की स्वायत्तता और व्यावसायिक स्वतंत्रता के बारे में लिखा गया है कि शैक्षिक माहौल बनाने के लिए शिक्षकों की स्वायत्तता और व्यावसायिक स्वतंत्रता आवश्यक हैं, ताकि वे बच्चों की विविध जरूरतों का ध्यान रख सके। जितनी आज़ादी, इज्जत और लचीलापन शिक्षार्थी को चाहिए उतना ही शिक्षक को भी। फिलहाल तो प्रशासनिक ऊँच–नीच एवं नियंत्रण, परिक्षाएँ, पाठ्यचर्या सुधार का केन्द्रीकृत नियोजन ये सभी शिक्षक और मुख्य शिक्षक की स्वायत्तता पर तमाम प्रतिबंध लगाते है। अगर कहीं पाठ्यचर्चा में खुलेपन का अवसर मिलता भी है तब भी शिक्षक इतने आत्मविश्वासी नहीं हो पाते की वे अपनी स्वायत्तता का ऐसे उपयोग कर ले की प्रशासन की अलग तरह से काम करने के कारण खफा न हो। इसीलिए यह जरूरी है की, उनकी विकल्प चुनने में और स्वायत्तता को महसूस करने में समर्थन दिया जाए। जितनी कक्षा को एक लोकतांत्रिक, नम्य और स्वीकृति देने वाली संस्कृति को पोषण देने की जरूरत है उतनी ही जरूरत स्कूल की संख्या और कार्यालयों संरचनाओं द्वारा ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने की है। शिक्षक केवल आदेश और सूचना प्राप्त करे बल्कि उपर बैठे लोगों द्वारा उन निर्णयों को लेते समय शिक्षकों की आवाज भी सुनी जाए जिससे कक्षा का तात्कालिक जीवन और स्कूल की संस्कृति प्रभावित होते है। शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के रिश्ते समानता और पारस्परिक सम्मान पर आधारित होने चाहिए और निर्णय बातचीत एवं चर्चा करके लिए जाने चाहिए। एक ऐसे वातावरण के विकास को जरूरत है। जिसमें शिक्षकों में मिलजुल कर काम करने की भावना का विकास हो।

1.6 शिक्षकों की वर्तमान अवस्था

किसी भी राष्ट्र या देश की शिक्षा प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान शिक्षक का होता है। विद्यालय की उन्नति अथवा विकास के लिए उचित पाठ्यक्रम, श्रेष्ठ पाठ्यपुस्तकें, शैक्षिक सामग्री, उच्चतम शिक्षा साधन तथा

उपयुक्त विद्यालय भवनों की आवश्यकता तो है ही परंतु उससे कहीं ज्यादा आवश्यक है उपयुक्त अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं की, वे ही शिक्षा पद्धति को चलाते है। अच्छे शिक्षकों के अभाव में किसी भी देश की शिक्षा पद्धति निर्जिव और निस्तेज हो जाती है। इसी तथ्य को समझकर प्राचीन भारत में शिक्षकों को एक विशिष्ट स्थान था। लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में अध्यापकों की स्थिति सोचनीय हो गयी। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार द्वारा नियुक्त राधाकृष्णन् आयोग, मुदलियार आयोग और कोठारी आयोग ने इस बात पर बल दिया की अध्यापकों की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक दशाओं को सुधारे बीमा, शिक्षक का उत्तरदायित्व अपूर्ण ही रहेगा। देश के सारे शिक्षा शास्त्र विद्वान, राजनीतिज्ञ और प्रशासक यह स्वीकार करते है कि, देश जिस संकटकालीन दौर से गुजर रहा है उसमें अध्यापक ही उसे सम्बल प्रदान कर सकते हैं।

शिक्षा प्रगतिशील राष्ट्र की रीढ़ है और शिक्षक शिक्षा पद्धति में विवर्तनी है। राष्ट्र की प्रगति शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर रहती है। यह बात प्रशंसनीय है कि अध्यापन का व्यवसाय सब व्यवसायों में उत्तम है। पर भाग्य की विडंबना है कि अध्यापन एक बहुत अनाकर्षक व्यवसाय है और शिक्षक समाज में देर से सम्मानीय स्थिति नहीं रखता। भारत में आज शिक्षक आर्थिक दृष्टि से वह निर्धन है, सामाजिक दृष्टि से इसका दर्जा नीचा है, व्यावसायिक दृष्टि से उसका काम कठोर परिश्रम करने का है और प्रशासनिक दृष्टि से उसके साथ बहुत भद्दा व्यवहार किया जाता है।

व्यावसायिक स्थितियाँ

व्यवसाय स्वयं अध्यापक के लिए किसी प्रकार का आकर्षक नहीं रखता क्योंकि कुछ दिनों के नौकरी के पश्चात् अध्यापक देखता है की उसको उन्नति करने के लिए अवसर नहीं मिल रहे, उसका कार्यभार असाधारण रूप से अधिक है, सेवा शर्ते बहुत बुरी है और प्रशासकों की और उसे किसी प्रकार के प्रोत्साहन की आशा नहीं है। अध्यापक को अत्याधिक मानसिक तनाव भी

सहना पड़ता है, जबकि उससे सप्ताह में 40 से 50 घण्टे पढ़ाने की, सह पाठ्यक्रम क्रियाओं की, देखभाल करने की, अनुशासन बनाए रखने की और भी अनेक कर्त्तव्य निभाने की आशा की जाती है। इस पर भी उसे सहानुभूतिहीन प्रशासकों की आज्ञाओं सहन करने पड़ते है। आकस्मिक स्थानांतरणों अनुचित रूप से सेवामुक्ति से, वेतनों के मिलने में देर से, वेतन-वृद्धि की देरी से, पदोन्नति की देरी से, छुट्टियों की अस्वीकृति आदि से उसका मानसिक स्वास्थ विनष्ट हो जाता है। कभी कभी उसकी सेवा पुस्तिका उसकी पदोन्नति अनेक वर्षो तक क्रियात्मक विचारधीन पड़ी रहती है, इसलिए उच्च अधिकारियों के पास उचित मार्ग द्वारा नहीं पहुँचती और रिपोर्ट जानबूझकर खराब कर दी गई है, उसका जीवन सामाप्त कर दिया गया है। बस एक शिक्षक के लिए मुझे इतना कहना है कि स्वयं एक शिक्षक है लेकिन वह अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं जुटा सकते। सम्मानीय व्यवसाय समाज से अपमानजक टिप्पणियां प्राप्त कर रहा है। एक मानव निर्माता ने विशेष निर्धनता के द्वारा अपने आप को पशु जीवन मान लिया है। 'ज्ञान का भंडार' इस बात के लिए कर्तव्यबद्ध है। की वह दूसरों पर ज्ञान को निछावर करे और वे जीवन में उच्च पद प्राप्त करें। बस भाग्य की यह कैसी विडंबना है।

सामाजिक स्थितियां

शिक्षक का समाज में कोई स्थान नहीं है। उसकी स्थिति इतनी निम्न है कि उसे वह सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल पाती, जो की शिक्षित समाज व्यापारी कम शिक्षित शिल्पी और दूसरे प्रकार की नौकरियों में कम पढ़ लिखे लोग प्राप्त करते है। सामाजिक उत्सवों में शिक्षक को पिछला स्थान मिलता है। एक ही परिवार के दो भाईयों में से एक डॉक्टर हो और दूसरा शिक्षक क्रमशः एक को पहले दूसरे को चौथी पंक्ति मिलेगी। आजकल व्यक्ति अपनी दौलत और आमदनी से जाना जाता और आदर पाता है न की अपने योगदान से जो की वह समाज को प्रदान करता है।

आर्थिक स्थिति

शिक्षकों का आर्थिक स्तर बहुत ही बुरा है। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का आरंभिक वेतन बहुत ही कम है, और इस प्रकार की तुलना सैकड़ों कथित छोटे या तुच्छ व्यावसायियों से भी कम नहीं की जा सकती। यहां तक की सचिवालय में काम करने वाला चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी बेचारे शिक्षक से कहीं उत्तम है।

1.7 शिक्षकों की प्रशासनिक (गैर–शैक्षिक) कार्यो में प्रतिनियुक्ति

शिक्षकों की छवि, मनोबल, सम्मान व विश्वसनीयता में अवसान कि सबसे अहम् वजह है। उसकी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त कार्यो/ कार्यक्रमों/ अभियानों के नाम पर शिक्षकों की प्रशासनिक कार्यो (गैर–शैक्षिक) में प्रतिनियुक्ति करना। समस्त महकमों में नियुक्त कर्मियों में शिक्षक ही मात्र ऐसा व्यक्ति है जिसको अन्य विभागों (गैर–शैक्षिक) के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अल्प या दीर्घ अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति कर दिया जाता है। चूँकि शिक्षा विभाग ही अन्य विभागों के दवाब में रहता है। अन्य विभागों का कोई भी वाशिंदा शिक्षा विभाग या शिक्षक के साथ ''प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण'' में सहयोग करना अपनी शान के खिलाफ समझता है।

बावजूद इसके शिक्षकों को गैर–शैक्षिक कार्यो यथा 'पशुगणना', 'जनगणना', 'बीपीएल सर्वे', 'मतदाता सूची संशोधन', 'परिवार कल्याण', 'अल्पबचत', 'पल्स पोलियो', 'ग्राम सभा', 'वार्ड सभा', 'वृक्षारोपण', 'पोषाहार तैयार करना' आदि तथा विभिन्न कार्यालयों में प्रतिनियुक्त किया जाता है। हालांकि राज्य सरकारों व शिक्षा निर्देशकों द्वाशिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर पाबंदी है। परन्तु इसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों का दबाव आने से शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जाता है।

1.8 अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

संपूर्ण शिक्षा प्रणाली की श्रृंखला में शिक्षक की भूमिकां अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शासकीय स्तर पर शिक्षा की चाहे कितनी ही मनोहर योजना बना ली जाये किन्तु शिक्षक यही उसे ठीक ढ़ंग से क्रियान्वित न करे

तो वह योजनाएं कदापि सफल नहीं हे पाती। प्राथमिक स्तर पर विशेष ज्ञान रखते हुए शिक्षा का संस्कार बालकों पर करने की जिम्मेदारी शिक्षक पर ही होती है। शिक्षक छात्रों के सामने आवश्यक एक आदर्श होता है। शिक्षक ही शिक्षा का आधारस्तंभ है। शिक्षा के हर कार्य में वह नेतृत्व करने वाला समाज रचियता कहा जाता है।

महान दार्शनिक एवं विचारक अरविंद घोष ने शिक्षक के विषय में कहा है कि "शिक्षक राष्ट्र के संस्कृति के चतुर माली होते है, जो संस्कारों की जड़ो में अपने ज्ञान की खाद देते है और अपने श्रम से सींच सींच कर उन्हें महाप्राण शक्तियां बना देते है।"

उपरोक्त सभी कथन हमें इस ओर खींचते जा रहे है कि अध्यापन कार्य में शिक्षक की भूमिका सर्वश्रेष्ठ है। उसी पर संपूर्ण समाज एवं छात्रों का विश्वास है। हमारे देश को अगर अच्छा जीवन पुनः कोई प्रदान कर सकता है तो वह शिक्षक ही है।

किन्तु शिक्षक पर शिक्षा के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्यो का बोझ बढ़ रहा है शिक्षक कार्यो के बोझ तले दबता जा रहा है। इसके कारण उनमें तनाव एवं उदासीनता निर्माण होती जा रही है। जिससे कई विपरीत परिणाम नजर आ रहे है। इसके कारण शिक्षक अपना अध्यापन कार्य अच्छी तरह नहीं कर पा रहा है। अगर शिक्षकों की स्थिति ऐसी रही तो आगामी समय में विद्यालयों में पढ़ाने वाला शिक्षक उपलब्ध नहीं होगा। इन्ही तथ्यों को आधार मानकर शोधकर्ता ने "प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्रशासनिक कार्यो के कारण इनके अध्यापन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन" इस विषय को लघु शोध प्रबंध चुना है।

1.9 पदो एवं संकल्पनाओं की परिभाषा

प्रशासन

एस.एस. मुखर्जी – "शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ–साथ मानवीय साधनों

की व्यवस्था से संबंधित है। अर्थात् व्यक्तियों के मिलजुलकर और अच्छा कार्य करने से संबंधित है। वास्तव में इसका संबंध मानवीय सजीवों से अपेक्षाकृत अधिक है, तथा अमानवीय वस्तुओं से कम है।''

हेनरी फेयॉल :- प्रशासन प्रक्रिया का पिता कहा जाता है। उसी के शब्दों में ''अन्य प्रशासन की भांति शैक्षिक प्रशासन पांच तत्वों नियोजन संगठन, आदेश, समन्वय तथा नियंत्रण की प्रक्रिया है।''

जे. एन. थुल्ज :- प्रशासन वह शक्ति है जो उद्देश्य निर्धारित करती है। जिसके अंतर्गत संगठन एवं प्रबंध प्रयत्न करते है।

प्रशासनिक कार्य

वाचन लेखन प्रकल्प, जनगणना, चुनावी कार्य, पल्स पोलियो, परिवार नियोजन की जानकारी देने का कार्य, मतदाता सूची संशोधन साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा, पशुगणना, बी.पी.एल. सर्वेक्षण, अल्पबचत, ग्राम सभा/वार्ड सभा, वृक्षारोपण, पोषाहार तैयार करना, आकस्मिक उत्पन्न बीमारियों तथा प्राकृतिक आपदाओं शिक्षा के संबंध में योजना बनाना संगठन करना, निर्देशन करना पर्यवेक्षण वित्त एवं लेखाकार्य छोटे मोटे कार्य के लिए प्रशासन से अनुमति लेना आदि कार्य करने की वजह से और साथ में अध्यापन कार्य का बोझ तथा प्रशासनिक नियंत्रण की वजह से शिक्षकों को अतिरिक्त प्रशासनिक कार्य की वजह से तनाव निर्माण होता है। इसका परिणाम उनके अध्यापन कार्य पर होता है।

अध्यापन

इनसायक्लोपिडिया- ''शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान, कौशल्य तथा अभिरूचियों को सिखने या प्राप्त करने में सहायता करता है।''

अध्यापन एक निश्चित दिशा में चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षक को उपलब्ध वातावरण एवं परिस्थितियों से उसका समायोजन उसकी अपनी

सफलता ही पहली सीढ़ी है। अध्यापन कार्य सफल होने के लिए शिक्षकों का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ ठीक होना चाहिए। अगर वो मानसिक शारीरिक तंदुरूस्त नहीं है तो इसका असर उनके अध्यापन कार्य पर प्रभाव डालता है।

1.10 समस्या का कथन

"प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्रशासनिक कार्यो के कारण उनके अध्यापन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन"

1.11 शोध के चर :-

- स्वतंत्र चर

  प्रशासनिक कार्य

- आश्रित चर

  अध्यापन पर पड़ने वाला प्रभाव

- उपचर

  लिंग - शिक्षक - शिक्षिका

  स्थान :- ग्रामीण - शहरी

1.12 शोध के उद्देश्य

1. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के प्रशासनिक कार्यो का अध्ययन करना।
2. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं को प्रशासनिक कार्यो के कारण उनके अध्यापन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
3. ग्रामीण-शहरी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्रशासनिक कार्यो के कारण उनके अध्यापन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

1.13 शोध की परिकल्पनाएं

(1) प्राथमिक विद्यालयों मे कार्यरत शिक्षक–शिक्षिकाओं का प्रशासनिक कार्यो के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक है।

(2) ग्रामीण और शहरी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशासनिक कार्यो के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक है।

(3) प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षिकाओं के प्रशासनिक कार्यो का उनके अध्यापन पर प्रभाव पड़ता है।

(4) ग्रामीण और शहरी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षिकों के प्रशासनिक कार्यो का उनके अध्यापन पर प्रभाव पड़ता है।

1.14 शोध समस्या का सीमांकन

शोध समस्या को निम्न सीमाओं तक केन्द्रीत रखा गया है।

(1) प्रस्तुत अध्ययन के लिए वर्धा (महाराष्ट्र) जिले के देवली तहसील का चयन किया गया है।

(2) देवली तहसील के 10 शालाओं के 50 शिक्षक–शिक्षिकाओं तक ही अध्ययन सीमित रखा गया है।

(3) देवली तहसील के कुल 10 प्राथमिक शालाओं को समाविष्ट किया गया है। उनमे 5 ग्रामीण तथा 5 शहरी शालाओं का समावेश किया गया है।